

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

कौशल्या

बनाम

ओमप्रकाश

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नाम्बर

37

सन-2020

| | | |
|-------------------|--|---|
| <p>तारीख हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिमियल जज</p> | <p>नाम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम का तारीख में जारी हुए</p> |
| <p>22.06.2020</p> | <p>प्रार्थी/सायल की ओर से जरिये अभिगापक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिगापक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण/गैरसायल इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा बक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 13/10 की कुल 4.4787हैक एवं रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 14/11 की कुल 0.2520हैक एवं रोही मौजा ढण्डेला बाराणी के खाता संख्या 20/16 के खसरा न0 402 की 11.8620हैक भूमि में रो गैरसायल न 1 के नाम 1/6 हिस्सा तीनों खातों में गैरसायल के नाम दर्ज भूमि की रिकार्ड की यथार्थिती आगामी पेशी तक बनाई रखी जावे। रास्ते खाला पर रथगन आदेश लागू नहीं होगा। यदि इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निर्धारित तिथि पर न्यायालय मे असाततन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली चारते तलवी अप्रार्थीगण दिनांक 24.07.2020 को पेश हो।</p> | <p></p> |
| <p>24/7/20</p> | <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी</p> <p><i>पत्रावली पेश हुई-वकील सामोय एवं अन्य सामोय उपस्थित आकर निवेदन किया की हम पक्षपात का आरोप में लगीवला है अतः इसलिये यह प्रार्थनापत्र नहीं चलाया जाकर रद्द करवाये।</i></p> <p><i>सायल के पक्ष में एन प्रभाकर पत्र पेश किया कि वकील सामोय का पत्रावली को रद्द कर दिया जाए कि एन प्रभाकर का पत्रावली को</i></p> <p>उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)</p> | <p>कौशल्या</p> <p>श्री. गजेंद्र</p> |